न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–555/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

विमलादेवी पत्नि विजय प्रताप जाति मेघवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया।

वादीया

बनाम

1. दीपचन्द पुत्र माईधन जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादी
2– श्री चरणजीत सिंह सिद्धू – वकील प्रति सं. 1

निर्णय दिनांक :– 14.5.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार चक 4 एच.आर.पी खाता स. 8/73 खाता ओमप्रकाश वगैरा ज.स. 2071–74 व चक 2 एच.आर.पी. खाता स. 72/68 खाता ओमप्रकाश वगैरा ज स. 2073–76 में प्रति 1 के नाम आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चको के उक्त खातो की नकल जमाबन्दीयां संलग्न वाद पत्र है। प्रति स. 1 दीपचन्द वादीया का ससुर है। दावा की दफा 2 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी प्रति स. 1 ने जरिये दान पत्र वादीया के पक्ष में उपपंजीयक संगरिया के समक्ष दिनांक 8/8/2025 को दान पत्र करवा दिया है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद नहीं हुआ है। वादीया मुताबिक दान पत्र आराजी प्राप्त करने की अधिकारी व दावेदार है। वादीयां इसी कदर की घोषणात्मक डिकी प्राप्त करना चाहती है।यह कि दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादीया के नाम दावा की दफा 3 के मुताबिक दर्ज नहीं होने के कारण वादीया के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीया ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादीगण को दावा की दफा 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसांर राजस्व रिकार्ड मे वादीया के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादीया के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए। बस यही वादकारण हैं। प्रति.स 2 को लैण्ड होलडर होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। इनके प्रति कोई प्रत्यक्ष

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अनुतोष नहीं चाहा गया है। वाद वादीया बाबत ईस्तकरार हक है जो कि 2/– रूपए के न्याय शुल्क पर पेश है समायत अदालत हाजा है तथा अन्दर मियाद है।

लिहाजा वाद वादी पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे कि चक 4 एच.आर.पी. खाता स. 8/73 खाता ओमप्रकाश वगैरा ज.स. 2071–74 व चक 2 एच.आर.पी. खाता स. 72/68 खाता ओमप्रकाश वगैरा ज.स. 2073–76 में प्रति स. 1 दीपचन्द पुत्र माईधन के नाम दर्ज समस्त आराजी की वादीया खातेदार काश्तकार है। उक्त खातो से प्रति स. 1 दीपचन्द पुत्र माईधन का नाम कलमजन किया जाकर प्रति स. 1 के नाम दर्ज समस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम दर्ज की जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी द्वारा वादी विमला का अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ पत्र पेश किया। तथा निम्नांकित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की गई :–

1. चक 2 एचआरपी खाता संख्या 72/68 खाता ओमप्रकाश वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2073–76 की प्रमाणित प्रति।
2. चक 4 एचआरपी खाता संख्या 8/73 खाता ओमप्रकाश वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2071–74 की प्रमाणित प्रति।
3. दान पात्र दीचन्द बहक विमलादेवीं की फोटोप्रति।

इसके अलावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिव्रादी बन्द किये गये। अधिवक्ता प्रतिवादी जिरह नहीं करना चाहते है लिए जिरह प्रतिवादी बन्द की गई।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीया ने कथन किया कि चक 2 एचआरपी खाता संख्या 72/68 खाता ओमप्रकाश वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2073–76 एव चक 4 एचआरपी खाता संख्या 8/73 खाता ओमप्रकाश वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2071–74 दर्ज है जो हमारी रजिस्टर्ड शुद्बा दान–पत्र से प्राप्त जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीया के वाद का उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई विरोध नहीं किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दान पात्र दिनांक 08.08. 2025 है जो सब रजिस्ट्रार संगरिया के यहाँ पंजीबद्व दस्तावेज है जिस पर कोई आपत्ति पेश नहीं हुई है इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। दानपात्र दिनांक 08.08.2025 सब रजिस्ट्रार संगरिया द्वारा पंजीबद्व दस्तावेज होना साबित है। उक्त दान–पात्र के संबंध में कोई उज्र/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ है। उभय पक्ष के मध्य कोई विवाद नहीं है एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद पत्र के अभिकथनो से सहमति दर्शायी है। लिहाजा उपलब्ध प्रदर्शित दस्तावेजात, बहस अधिवक्ता एवं मुताबिक सहमति वाद वादी साबित होने से काबिले स्वीकार है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा मय रजिस्ट्रर्ड दान–पात्र के आधार पर वाद वादीया निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– दीपचन्द पुत्र माईधन के नाम चक 2 एचआरपी खाता संख्या 72/68 खाता ओमप्रकाश वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2073–76 एव चक 4 एचआरपी खाता संख्या 8/73 खाता ओमप्रकाश वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में दर्ज आराजी का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर दीपचन्द पुत्र माईधन का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 14.5.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी * संगरिया जिला हनुमानगढ़

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 555/2025

विमलादेवी पत्नि विजय प्रताप जाति मेघवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया।

वादीया

बनाम

1. दीपचन्द पुत्र माईधन जाति मेघवाल निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जयं कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री चरणसिह सिद्धू वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदांयला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती हैः– दीपचन्द पुत्र माईधन के नाम चक 2 एचआरपी खाता संख्या 72/68 खाता ओमप्रकाश वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2073–76 एव चक 4 एचआरपी खाता संख्या 8/73 खाता ओमप्रकाश वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में दर्ज आराजी का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर दीपचन्द पुत्र माईधन का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज ✗ नल ✗ मुब्लिक ✗ निल ✗ बाबत् ✗ निल ✗ खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फ़ीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ✗ अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 14.5.2026 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया